वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2010

[आय-कर]

का.आ. 2091(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 6 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 484(अ), तारीख 30 मई, 2001 को अधिक्रांत करते हुए, उक्त खण्ड में यथाविनिर्दिष्ट दर 8.5 प्रतिशत नियत करती है जो 1 सितम्बर, 2010 से प्रभावी होगी ।

[अधिसूचना सं. 69/2010/फा.सं 142/14/2010-एसओ(टीपीएल)]

विवेक आनंद ओझा, अवर सचिव